

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No.

99/17

Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders when Necessary

आज आरक्षी केन्द्र गौहट्ट के उपनिरीक्षक/सहायक
उपनिरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक दीपा 178
को 1123 द्वारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध
को 122/17 अंतर्गत धारा 13 जुडा 14
भा0द0स0 / 13 जुडा 14 अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री पुनीष सिंह खार उप0।

अभियुक्त/अभियुक्तगण नरेन्द्र जाल्व, वैजेश (1129)

रामनारायण

रामनारायण निवासी/निवासीगण रामनारायण
थाना गौहट्ट जिला फिरोज राज्य म.प्र.
उपरिधत। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री मेमोरेण्डम/वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

नरेन्द्र सिंह

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया
है।

वैजेश

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से पथम दृष्ट्या
अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार
भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाने के
आधार प्रकट हो रहा है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा
190-(1) द0प्र0स0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पजी में दर्ज
किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों
के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्राति निष्पाक दिलायी
जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण
की ओर से 7000 (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति राशि

चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध धारा 13(1) A(4) भा0द0स0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा समस्त उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति / 8300 रु. रूपये राजसात किये जाये। संपत्ति 52 लाख पञ्चमूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन-उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संयथन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
(Gohad Dist. Bhawal (M.P.))

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 1,00,000 रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र0 6902 रसीद क्र0 49541 दी गई।

अभियुक्त / अभियुक्तागण की राजा भुगतान गई।

प्रकरण समाप्त निदेश अनुसार सविता हो।

A.K. Gupta

Judicial Magistrate First Class,
(Gohad District Bhawal (M.P.))

माननीय न्यायाधीश
गोहाड
कोर्ट